राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141-2228066 , 2228064 ई–मेल : mdrmsc@nic.in

सीआईएन. :U24232RJ2011SGC035067 Website: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ) / आरएमएससी / क्यू.सी. / 2025-26 / 1119 दिनांक : 19/8/2025

आदेश

फर्म मैसर्स Aimex Pharma, 5-B-287/2/P-87, Rajiv Nagar, Kukatpally, Mandai, Medchal-Makajgiri, Dist., Telangana-500072 से निविदा क्रमांक F.02(393)/ RMSCL/ PROCUREMENT /DRUG /LB /01/2024/122 dated 18-01-2024 के तहत् औषधि Losartan Potassium 50 mg And Hydrochlorothiazide Tablets 12.5 mg IP [459] की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 4986 दिनांक 10.10.2024 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा जाँच कराये जाने पर औषधि के बैच (LHT014) Assay and Dissolution में अमानक कोटि के पाया गया।

उक्त बैचो को पुनः जांच हेतु राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाया गया। राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से औषधि के बैच (LHT014) की Assay and Dissolution में अमानक कोटि की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 06.06.2025 में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया, परन्तु समिति के समक्ष फर्म का कोई प्रातिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन के तहत Not of Standard Quality की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 16(2)/19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबन्धी दिशा-निर्देशा ` (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध मे जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28 / 08 / 2018 के clause 4.6(1) के तहत निगम की

RajKaj Ref No.:
16936813
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation : Managing Director
Date: 2025.08.19 13:03:03 IST
Reason: Approved

अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s AimexPharma, 5-B-287/2/P-87, RajivNagar, Kukatpally, Mandai, Medchal-Makajgiri, Dist., Telangana-500072 की औषधि Losartan Potassium 50 mg And Hydrochlorothiazide Tablets 12.5 mg IP [459] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

(पुखराज सैन)
आई.ए.एस
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2025-26/ 1119 दिनांक : 19/8/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, मिशन निदेशक,एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रंण, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
6. निजी सहायक, निदेशक,पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू. चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
8. निजी सहायक, औषधि नियंत्रक, राजस्थान/हिमाचल प्रदेश ।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं उप.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
12. M/s Aimex Pharma, 5-B-287/2/P-87, RajivNagar, Kukatpally, Mandai, Medchal-Makajgiri, Dist., Telangana-500072
13. आदेश पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक

Signature valid

Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation: Managing Director
Date: 2025.08.19 17:03:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
16936813
eSign 1.0